EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II—SEC 3, SUB-SEC (ii)

Appearing on Page No 3222

Dated 23-10-93

वाणिज्य मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE

अधिसूचना

नई दिल्ली 4 अक्तूबर 1993

का आ 2221—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को कच्चा मांस (द्रुतशीतित/हिमशीतित) का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1992 में अधिसूचित शर्तों के अधीन दिओनार एबॉटर से उत्पन्न कच्चा मांस (द्रुतशीतित/हिमशीतित) का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता देती है।

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना में कच्चा मांस (द्रुतशीतित/हिमशीतित) से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(i) भैंस,शवों, कटरों/बछड़े का मांस चार माह से लेकर एक वर्ष तक की आयु के भैंस के कटरों से प्राप्त मांस के (द्रुतशीतित/हिमशीतित) द्वारा प्रसंस्कृत तथा कीमा मांस, और

(ii) भारतीय बकरा तथा भेड़ कच्चा द्रुतशीतित/हिमशीतित मांस तथा बकरे, भेड़ का कीमा मांस और बकरे तथा भेड़ से प्राप्त द्रुतशीतन/हिमशीतन द्वारा प्रसंस्कृत।

2 यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फाईल सं 6/1/92-ई आई एण्ड ई पी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 1993

S.O 2221.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises the Bombay Municipal Corporation as an agency for inspection of Raw Meat (Chilled/Frozen) originating from Deonar abbatoir prior to export subject to the conditions notified in the Export of Raw Meat (Frozen/Chilled) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992

Explanation : In this notification Raw Meat (Chilled/Frozen) means :—

(i) Meat and minced meat processed by chilling/quick freezing obtained from Buffalo, Carcasses, veal/Calf meat obtained from buffalo calves of above four months and upto one year of age ; and

(ii) Indian goat and sheep raw chilled/frozen meat and minced meat of goat, sheep and processed by chilling/quick freezing obtained from goat and sheep.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No 6/1/92-EI&EP]

KUM SUMA SUBBANNA, Director

MGIPRRND—2397 M of Comm 93 VIII 19-11-93 100